पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी,जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 236/2022
अनवान :
1 तेजा सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1 सरजीत कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री शेर सिंह पत्नी कौर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मसानी हाल घुमारवाला तहसील व जिला मुक्तसर साहिब ।

प्रतिवादीया

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88, राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:–1 अधिवकता श्री विकास शर्मा :–वादीगण
2 अधिवक्ता श्री कुन्दनलाल :–प्रतिवादीया

डिक्री दिनांक 19/2/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री विकास शर्मा व कुन्दनलाल अधिवक्ता प्रतिवादीया अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी स० 1 के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 14 जी. जी. आर. के खाता सव 152/85 में अंकित कुल 1.771 हैक्टेयर में से 1/18 हिस्सा अर्थात 0.098 हैक्टेयर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है व उक्त खाता हाजा में से प्रतिवादी स० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है ईजाराय प्रार्थना पत्र के सलंग्न 500 रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जाए। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी